



2025:AHC:12203

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 1259 सन् 2026

मोन् उर्फ कौशल चौरसिया

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : रयूफ अली

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. अभियुक्त-आवेदक **मोन् उर्फ कौशल चौरसिया** मुकदमा अपराध संख्या 1007 सन् 2025, अंतर्गत धाराएँ 87, 70(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर में संलिप्त है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि घटना दिनांक 30.10.2025 की बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.10.2025 को दर्ज की गई, जिसके विलंब का कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता बालिग है और उसकी आयु लगभग 20 वर्ष है। यद्यपि आवेदक एवं सह-अभियुक्त के विरुद्ध बलात्कार का आरोप है, तथापि चोट आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता को कोई बाह्य अथवा आंतरिक चोट नहीं आई है। आगे यह भी कहा गया है कि उसके निजी अंगों पर भी कोई चोट नहीं पाई गई; चोट आख्या की प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 15 पर संलग्न है। अतः यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता की चिकित्सीय आख्या अभियोजन कथन की पुष्टि नहीं करती तथा आवेदक को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता प्रदर्शित करने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फँसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु तैयार है तथा जब भी न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा, वह निष्ठापूर्वक उपस्थित होगा और न्यायालय द्वारा आरोपित सभी शर्तों को स्वीकार करने हेतु भी तैयार है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक दिनांक 31.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का जोरदार विरोध किया गया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं किया जा सका।

5. समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, तथा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. अतः आवेदक **मोनू उर्फ कौशल चौरसिया** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो स्थानीय भारी जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
 - (iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह ऐसे व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत कर सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सके।
7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में सूचनाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,)

जनवरी 19, 2026

एस. अली

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।